"जंगल जीवन को नजदीक से महसूस करने का निमंत्रण"

वन एवं वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग हरियाणा

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बीड़ शिकारगाह वन्य प्राणी विहार एवं खोल हाय रायतन वन्य प्राणी विहार, जिला पंचकूला, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान व कलेसर वन्य प्राणी विहार जिला यमुनानगर एवं सरस्वती संरक्षण आरक्षिति स्योंसर जिला कुरुक्षेत्र – कैथल, में प्रकृति को नजदीक से देखने, समझने और वन्य प्राणियों को देखने हेतू उक्त एरिया में वाकिंग ट्रैल बनाये गये हैं। जो भी महाविद्यालय, विद्यालय, शिक्षण संस्थान, क्लब, प्रकृति प्रेमी संस्थान उपरोक्त राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी विहारों में प्रकृति एवं वन्य प्राणियों को देखने समझने हेतू जाना चाहते हैं वे निम्नलिखित विवरण अनुसार वाकिंग ट्रैल का आनन्द उठा सकते है:–

कृ0 स0	नेशनल पार्क / वन प्राणी विहार का नाम	वाकिंग ट्रैल का नाम	वाकिंग ट्रैल की लम्बाई	सम्पर्क अधिकारी
1.	बीड शिकारगाह वन्य प्राणी विहार, जिला पंचकूला सूरजपुर रिजर्व फोरेस्ट	1. काला अम्ब से टिब्बी एरिया 2. Compartment–5 से Compartment–10 3. ए.सी.सी. फेक्ट्री से नेपली फोरेस्ट एरिया	3 कि0मी0 4.5 कि0मी0 4 कि0मी0	श्री जयबीर सिंह, वन्य प्राणी निरीक्षक पिंजौर, मो0 न0– 9467473781
2.	खोल हायरायतन वन्य प्राणी विहार, जिला पंचकूला	1.बेरवाला चेकपोस्ट से बर्ड सफारी 2.बेरवाला Guard Hut से बर्ड सफारी 3.आसरेवाली से मोरनी रोड	6 कि0मी0 7 कि0मी0 5 कि0मी0	–सम–
3.	कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जिला यमुनानगर	1.चिकन पक्का पोंड से काला कुंड 2.लाल ढांग से काला कुंड 3.चिकनवाला से डारपुर सी0–7	3 कि0मी0 20 कि0मी0 8 कि0मी0	श्री राजपाल, वन्य प्राणी निरीक्षक कलेसर, मो0 नं0– 9416224835
4.	सरस्वती संरक्षण आरक्षिति स्योंसर, जिला कुरुक्षेत्र – कैथल	1.पुराना पेहवा–स्योंसर (जंगल रोड) से हेलवा सीमा 2. चेक पोस्ट से सरस्वती ड्रेन	1.5 कि0मी0 1 कि0मी0	श्री ओम प्रकाश, वन्य प्राणी निरीक्षक, स्योंसर, जिला कैथल मो0 न:9416730334

नोट:– ट्रैल की लम्बाई, स्थान (लोकेशन), नियम व शर्ते आदि की जानकारी के लिए वन विभाग की वैब साईट www.haryanaforest.gov.in देखी जा सकती है।

मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी,
पंचकूला।

नियम व शर्तेः–

1. इच्छुक व्यक्ति/संस्थान/संस्थाएं को ऊपर दिये गये सम्बन्धित वन्य प्राणी निरीक्षक से कम से कम तीन दिन पहले सम्पर्क करके स्वीकृति लेनी होगी।
2. विद्यार्थियों के लिए उनकी शिक्षण संस्था को विद्यार्थियों की पूर्ण विवरण सहित सूची आवेदन के साथ एवं ट्रैल पर जाने से पहले वन्य प्राणी निरीक्षक को देनी होगी। शिक्षक/संस्थान अपनी जिम्मेवारी पर सूचना में अंकित स्थान का भ्रमण करवायेगा।
3. सभी आगन्तुक अपने साथ खाने–पीने व अपने बचाव के लिए सामान साथ लेकर जायेंगें। सारा खर्चा आगन्तुकों को स्वयं वहन करना होगा।
4. आगन्तुक भडकीले एवं लाल रंग के वस्त्र न पहनें।
5. जंगल में शोर करना व जानवरों के साथ छेडछाड करना निषेध है।
6. **Commercial camera** ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी।
7. अंदर जाने व वापसी के समय सभी आगन्तुकों की गिनती की जायेगी।
8. जंगल में किसी भी तरह का कचरा व पानी की खाली बोतल न फेंकें।
9. एक ग्रुप में कम से कम 10 व अधिकतम 40 व्यक्तियों/विद्यार्थियों को जाने की अनुमति होगी।
10. एक ट्रैल पर पहले ग्रुप के वापिस आने के बाद ही दूसरे ग्रुप को जाने की स्वीकृति दी जायेगी।
11. एक ग्रुप का ट्रैल पर घूमने के लिए अधिकतम समय चार घंटे होगा।
12. ट्रैकिंग का समय गर्मियों में सुबह 6.00 बजे से सायं को 6.00 बजे व सर्दियों में सुबह 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगा।
13. नियमों की अवहेलना करने पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
14. किसी तरह की दुर्घटना के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी,
पंचकूला।